

Code of Conduct for Students.

आचार संहिता (Code of Conduct)

प्रत्येक छात्र-छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में वृद्धि हो, अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धुम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आन्दोलन, हिंसा, आतंक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें, अपितु उन्हें गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के गाध्यग से हस्तक्षेप नहीं करेगा। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जाएगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रेवश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेश—भूषा में महाविद्यालय में आएगा। किसी भी स्थिति में उनकी वेश भूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

Govt. NCJ College, Dalli Rajhara, Dist Balod. CG.

विद्यार्थियों के लिये आचरण—संहिता

Code of Conduct for Students.

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसंदीय व्यवहार का प्रयोग, गाली—गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्वसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर—उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनकों स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।

Govt. NCJ College, Dalli Rajhara, Dist Balod. CG.

विद्यार्थियों के लिये आचरण—संहिता

Code of Conduct for Students.

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के समाधान लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वरथ होने उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना पृतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Govt. NCJ College, Dalli Rajhara, Dist Balod. CG.

विद्यार्थियों के लिये आचरण—संहिता

Code of Conduct for Students.

3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जाएगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसे प्रवेश निरस्त कर उस गहाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।